

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1501 / 11-सी-FP/UP/Road/25904/2017, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 18, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर-उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 376 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/१०४/२०२३/एफ०सी०/३१४, दिनांक 24.08.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक-2655/14-10-4, दिनांक 14.12.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के उपरोक्त पत्रांक-2655/14-10-4, दिनांक 14.12.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ अपलोड कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1501 / 11-सी-FP/UP/Road/25904/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, उन्नाव।
3. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।

18
(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक:- 2655 / 14-10-4, लखनऊ, दिनांक 14- दिसम्बर, 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:- जनपद-उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर-उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 376 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार की पत्र संख्या-II/1902/आरईसी/2014 दिनांक-18.08.2023, पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/104/2023/एफसी/314 दिनांक-24.08.2023 एवं आपका पत्रांक-495/11-सी-FP/UP/Road/25904/2017 दिनांक-25.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, उन्नाव, ने भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों की निराकरण आख्या/अभिलेख अपने पत्रांक-1737/14-1 दिनांक-12.12.2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। जिसे ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीया,

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक- / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, उन्नाव को उनके पत्रांक-1737/14-1 दिनांक-12.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव
पत्रांक 1237 /14-1 उन्नाव, दिनांक , 12-12-2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,,
लखनऊ मण्डल, उ०प्र०,
लखनऊ।

प्रस्ताव सं०— **FP/UP/Road/25904/2017**

विषय:—

जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर उन्नाव तक बाईपास रोड़ के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 376 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:—

भारत सरकार का पत्रांक II/1902/आरईसी/2014-उ०प्र०(पार्ट-2)/244 दिनांक— 18.08.2023
उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव ऑनलाइन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.No.	आपत्तियाँ	निराकरण
1	No of trees to be felled shall be corrected in part II of the proposal.	प्रस्ताव के भाग-2 में काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या संशोधित कर दी गयी है।
2	Alternative alignments as per FCA guidelines need to be submitted in respect of minimum tree felling and minimum forest area.	न्यूनतम वृक्ष कटाई और न्यूनतम वन क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
3	A joint site inspection of the proposed alignment shall be carried out by the DFO and concerned CCF along with Mr. Subhash Chandra Superintendent Engineer to explore possible alternatives since the present alignment is bifurcating the forest block.	सैद्धान्तिक सहमति के उपरान्त ही संरक्षण तय किया गया है।

88
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक /समदिनांक

प्रतिलिपि:—

प्रतिलिपि:—

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
अधिशायी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव